

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand  
Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: [eeedpwddd@rediffmail.com](mailto:eeedpwddd@rediffmail.com)

पत्रांक 225 / 25 सी०

दिनांक 29/1/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,  
देहरादून।

विषय:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड कि०मी० 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पूरण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी०सी० द्वारा सड़क मार्ग के निर्माण हेतु 0.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून से प्राप्त ई०डी०एस० दिनांक 28.12.2020 (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/Road/43062/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित नोडल अधिकारी देहरादून से प्राप्त ई०डी०एस० दिनांक 28.12.2019 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्राप्त ई०डी०एस० में वन भूमि प्रकरण सम्बन्धी लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून से प्राप्त ई०डी०एस० दिनांक 28.12.2019 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का विवरण		निराकरण
1	Provide separate component wise break up in B-2.4 as in following way:- A- Road B- Muck dumping	(A) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जानी है। अतः ऑनलाईन फॉर्म-A के बी-2.4 में केवल मोटर मार्ग निर्माण हेतु ही वन भूमि दर्शाई गयी है। (B) क्योंकि प्रस्तावित मोटर मार्ग में पहाड़ कटान अथवा कटिंग का कार्य नहीं होना है। अतः मलवा उत्सर्जन न होने के कारण मलवा निस्तारण Dumping Zone प्रस्तावित नहीं किये गये है।
2	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup	प्रस्तावित मोटर मार्ग में केवल एक ही गांव प्रभावित हो रहा है। इसलिए एक ही गांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र वन भूमि प्रस्ताव में संलग्न किया गया है, जो पूर्व में ही फॉर्म-A पार्ट-1 K-a में Upload है क्योंकि इसमें एक ही गांव की भूमि प्रभावित हो रही है। अतः फॉर्म-A पार्ट-1 के बी०-2.3 में एक ही गांव की भूमि का विवरण Upload किया गया है।
3	User agency may review permanent employment generation details at section E in form A, Part-I	फॉर्म-A पार्ट-1 के Section E में Permanent employment generation detail सही कर दी गई है।
4	The user agency may uploaded additional information file according to check list in form A Part-I	फॉर्म-A पार्ट-1 के Additional information में Check list upload कर दी गई है।
5	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted	उपरोक्तानुसार सभी कमियों का निराकरण कर ऑनलाईन Upload करते हुए सभी पत्रावलिओं में मूल प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय, देहरादून में जमा कर दी गई है।

आपके कार्यालय स्तर से प्राप्त ई०डी०एस० द्वारा लगाई गई आपत्तियों का ऑन लाईन निराकरण कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भक्तदीय,

(इ० राजेश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

नि०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।

दिनांक 29/1/2020

पत्रांक 225 / 25 सी०

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी।
3. श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे प्रकरण पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
4. श्री महिपाल सिंह रावत, खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

नि०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।